रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2443] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 30, 2011/पौष 9, 1933
No. 2443] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 30, 2011/PAUSA 9, 1933

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2011

सं. 64/2011-आयकर

का.आ. 2923(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 120 की उप-धारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्द्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) (केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) की अधिसूचना संख्या का.आ. 881(अ), दिनांक 14 सितम्बर, 2001 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में,—

I. प्रस्तावना में,—

(क) क्रमांक "1 से 9" के शब्दों एवं आंकड़ों के लिए "क्रमांक 1 से 10" शब्द एवं आंकड़े प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ख) पैरा (ख), (ग) एवं (घ) में, "संयुक्त आयकर निदेशक" शब्द के लिए, जहां भी वे आते हैं "अपर आयकर निदेशक अथवा संयुक्त आयकर निदेशक" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

II. अनुसूची में,—

(क) क्रमांक 5 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित क्रमांक एवं प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

अनुसूची

क्रम संख्या	आयकर प्राधिकारियों का पदनाम	मुख्यालय	भौगोलिक क्षेत्र	व्यक्ति अथवा व्यक्तियों की श्रेणी	शक्तियां एवं कार्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"5.	आयकर निदेशक (अंतर्राष्ट्रीय कराधान), बैंगलोर	बैंगलोर कर्नाटक	(i) कर्नाटक एवं गोवा राज्य की भौगोलिक सीमा के अन्दर आने वाले क्षेत्र	(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 की उप-धारा (23क) के अर्थ के अंदर विदेशी कम्पनियों समेत अनिवासी के रूप में व्यक्ति तथा जिनका लागू दोहरा कर परिहार करार की दृष्टि से	(क) क्रमांक 5 के कॉलम (5) की मद (क) में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194ङ, 195, 196क, 196ख, 196ग,

1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				क्रमांक 5 के कालम (4) में उल्लिखित क्षेत्रों में 'स्थाई स्थापना' है या कोई 'व्यवसाय संबंध' या आय का कोई ऐसा स्रोत है जो क्रमांक 5 के कॉलम (4) में उल्लिखित क्षेत्रों में प्रोद्भूत या उत्पन्न समझा जाता है;	196घ और 197 के अंतर्गत स्रोत पर कर कटौती से संबंधित कार्यों एवं शक्तियों समेत सभी कार्य एवं शक्तियां ।
				(ख) कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति जो व्यवसाय या पेशा से आय से भिन्न स्रोतों से आय आहरित करते हैं तथा क्रमांक 5 के कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र के अंदर रहते हैं; (ग) कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति जो व्यवसाय या पेशा से आय आहरित करते हैं तथा जिनके व्यवसाय का प्रधान स्थान क्रमांक 5 के कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र में है; (घ) कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत कम्पनी के रूप में पंजीकृत व्यक्ति तथा जिनका पंजीकृत कार्यालय या व्यवसाय का प्रधान स्थान क्रमांक 5 के कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र में हैं; (ङ) क्रमांक 5 के कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र के अंदर कोई अन्य व्यक्ति जो आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय-XVII या अध्याय XVII-ख के अंतर्गत स्रोत पर कर काटने के लिए जिम्मेदार है ।	(ख) क्रमांक 5 के कालम 5 की मद (ख), (ग), (घ) एवं (ङ) में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में अनिवासियों एवं विदेशी कम्पनियों को किए गए भुगतानों पर आयकर अधि-नियम, 1961 की धारा 194ङ, 195, 196क, 196ख, 196ग, 196घ एवं 197 के अंतर्गत स्रोतों पर कर कटौती से संबंधित सभी कार्य एवं शक्तियां ।

(ख) क्रम संख्या 9 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित क्रमांक एवं प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी, अर्थात् :—

"10	आयकर निदेशक (अंतर्राष्ट्रीय कराधान), हैदराबाद	हैदराबाद, आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश राज्य की भौगोलिक सीमा के अन्दर आने वाले क्षेत्र	(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 की उप-धारा (23क) के अर्थ के अंदर विदेशी कम्पनियों समेत अनिवासी के रूप में व्यक्ति तथा जिनका लागू दोहरा कर परिहार करार की दृष्टि से क्रमांक 10 के कालम (4) में उल्लिखित क्षेत्रों में 'स्थाई स्थापना' है या कोई 'व्यवसाय संबंध' या आय का कोई ऐसा स्रोत है जो क्रमांक 10 के कॉलम (4) में उल्लिखित क्षेत्रों में प्रोद्भूत या उत्पन्न समझा जाता है;	(क) क्रमांक 10 के कॉलम (5) की मद (क) में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194ङ, 195, 196क, 196ख, 196ग, 196घ और 197 के अंतर्गत स्रोत पर कर कटौती से संबंधित कार्यों एवं शक्तियों समेत सभी कार्य एवं शक्तियां ।
				(ख) कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति जो व्यवसाय या पेशा से आय से भिन्न स्रोतों से आय आहरित करते हैं तथा क्रमांक 10 के कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र के अंदर रहते हैं;	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				(ग) कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति जो व्यवसाय या पेशा से आय आहरित करते हैं, तथा जिनके व्यवसाय का प्रधान स्थान क्रमांक 10 के कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र में है; (घ) कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत कम्पनी के रूप में पंजीकृत व्यक्ति तथा जिनका पंजीकृत कार्यालय या व्यवसाय का प्रधान स्थान क्रमांक 10 के कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र में हैं; (ङ) क्रमांक 10 के कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र के अंदर कोई अन्य व्यक्ति जो आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय-XVII या अध्याय XVII-ख के अंतर्गत स्रोत पर कर काटने के लिए जिम्मेदार है।	(ख) क्रमांक 10 के कालम 5 की मद (ख), (ग), (घ) एवं (ङ) में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में अनिवासियों एवं विदेशी कम्पनियों को किए गए भुगतानों पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194ङ, 195, 196क, 196ख, 196ग, 196घ एवं 197 के अंतर्गत स्रोत पर कर कटौती से संबंधित सभी कार्य एवं शक्तियां।"

[फा. सं. 187/03/2011-आ.क.नि.-I]

सुरभि शर्मा, अवर सचिव (आयकर निर्धारण-I)

टिप्पणी :—प्रधान अधिसूचना सं. का.आ. 881(अ), दिनांक 14 सितम्बर, 2001 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित की गई तथा आखिरी बार सं. का.आ. 2174(अ), दिनांक 3 सितम्बर, 2010 के तहत संशोधित की गई।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th December, 2011

No. 64/2011-INCOME TAX

S.O. 2923(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) and (2) of Section 120 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following amendments to the Notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), (Central Board of Direct Taxes), number S.O. 881(E), dated 14th September, 2001, namely :—

In the said notification,—

I. in the preamble,—

(A) for the words and figures serial numbers "1 to 9" the words and figures "serial number 1 to 10" shall be substituted;

(B)in paras (b), (c) and (d), for the words "Joint Directors of Income Tax", wherever they occur the words "Additional Directors of Income tax or Joint Directors of Income tax" shall be substituted.

II. in the Schedule,—

(A) for serial number 5 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be substituted anmely :—

SCHEDULE

Sl. No.	Designation of the Income-tax Authorities	Headquarter	Territorial Area	Persons or class of persons	Powers and functions
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"5.	Director of Income Tax (International Taxation), Bangalore	Bangalore, Karnataka	(i) Area lying within the territorial limit of State of Karnataka and Goa	(a) Persons being non-residents including foreign companies within the meaning of sub-section (23A) of Section 2 of the Income-tax Act, 1961 and having a 'Permanent Establishment' in terms of the applicable Double Tax Avoidance Agreement, in the areas mentioned in column (4) against serial number 5 or having a 'Business Connection' or having any source of income accruing or arising or deemed to be accuing or arising in the areas mentioned in column (4) against serial number 5; (b) persons being other than companies derving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4) against serial number 5: (c) persons being other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business is within the territorial area mentioned in column (4) against serial number 5; (d) persons being companies registered under the Companies Act, 1956 and having registered office or principal place of business in the area mentioned in column (4) against serial number 5; (e) any other person responsible for deducting tax at source under Chapter XVII or Chapter XVII-B of the Income Tax Act, 1961, within the territorial area mentioned in column (4) against serial number 5.	(a) All functions and powers including functions and powers relating to Tax Deduction at Source under Sections 194E, 195, 196A, 196B, 196C, 196D, and 197 of the Income-tax Act, 1961 in respect of persons mentioned at item (a) of column (5) against serial number 5; (b) all functions and powers relating to Tax Deduction at Source under Section 194E, 195, 196A, 196B, 196C, 196D, and 197 of the Income-tax Act, 1961 on payments made to non-residents and foreign companies in respect of persons mentioned at items (b), (c), (d) and (e) column (5) against serial number 5."

(B) after serial number 9 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely :—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"10.	Director of Income Tax (International Taxation), Hyderabad	Hyderabad Andhra Pradesh	Area lying within the territorial limit of State of Andhra Pradesh	(a) Persons being non-residents including foreign companies within the meaning of sub-section (23A) of Section 2 of the Income-tax Act, 1961 and having a 'Permanent Establishment' in terms of the applicable Double Tax Avoidance Agreement, in the areas mentioned in column (4) against serial number 10 or having a 'Business Connection' or having any source of income accruing or arising or deemed to be accruing or arising in the areas mentioned in column (4) against serial number 10; (b) persons being other than companies derving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4) against serial number 10; (c) persons being other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business is within the territorial area mentioned in column (4) against serial number 10; (d) persons being companies registered under the Companies Act, 1956 and having registered office or principal place of business in the area mentioned in column (4) against serial number 10; (e) any other person responsible for deducting tax at source under Chapter XVII or Chapter XVII-B of the Income Tax Act, 1961, within the territorial area mentioned in column (4) against serial number 10.	(a) All functions and powers including functions and powers relating to Tax Deduction at Source under Sections 194E, 195, 196A, 196B, 196C, 196D, and 197 of the Income-tax Act, 1961 in respect of persons mentioned at item (a) of column (5) against serial number 10; (b) all functions and powers relating to Tax Deduction at Source under Sections 194E, 195, 196A, 196B, 196C, 196D, and 197 of the Income-tax Act, 1961 on payments made to non-residents and foreign companies in respect of persons mentioned at items (b), (c), (d) and (e) of column (5) against serial number 10."

[F. No. 187/03/2011-ITA.I]

SURABHI SHARMA, Under Secy. (ITA. I)

Note :—The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide*, number S.O. 881(E), dated the 14th September, 2001 and lastly amended, *vide* number S.O. 2174(E), dated the 3rd September, 2010.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

4730 GI/11-2